हमें बदलाव लाने की जरूरत

यह समझा जाना जरूरी है कि जनसंख्या को लेकर ऐसा विमर्श अब न केवल पुराना पड़ चुका है बल्कि बदले हालात में इससे प्रेरित कदम हानिकारक साबित होंगे। ताजा प्रवृत्ति जारी रही तो कुछ ही समय में हमारी आबादी घटने लगेगी और चुनौतियों का स्वरूप बिल्कुल बदल जाएगा।

मर्नाज शाह।।

नैशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (एनएफएचएस–5) की ताजा रिपोर्ट ने यह महत्वपूर्ण तथ्य उजागर किया है कि भारत में टोटल फर्टिलिटी रेट यानी राष्ट्रीय प्रजनन दर 2.2 से कम होकर 2.0 तक पहुंच गई है। प्रति महिला औसत प्रजनन दर 2.1 को रिप्लेसमेंट मार्क के रूप में जाना जाता है। यानी इस औसत पर जनसंख्या कमोबेश स्थिर रहती है। यह पहली बार हुआ है कि देश की राष्ट्रीय प्रजनन दर रिप्लेसमेंट मार्क से भी नीचे चली गई। ध्यान रहे, ऐसा संयोगवश या किसी नाटकीय घटनाक्रम के तहत नहीं हुआ है। औसत प्रजनन दर में कमी की प्रवृत्ति काफी समय से दिख रही थी। ऐसे में यह मानना गलत नहीं होगा कि क्रमिक रूप से आया यह बदलाव काफी हद तक टिकाऊ है। निकट भविष्य में इसके अचानक फिर ऊपर का रुख ले लेने जैसे कोई आसार नहीं हैं।

इसका मतलब यह हुआ कि देश की जनसंख्या को लेकर अपने नजरिये में भी हमें बदलाव लाने की जरूरत है। आजादी के बाद से ही जनसंख्या बढ़ोतरी को एक समस्या के रूप में देखने के हम आदी रहे हैं।

आपातकाल के दौरान तो जबरन नसबंदी जैसे कार्यक्रम भी सरकार की ओर से चलाए गए। तत्कालीन सरकार की उस वजह से हुई बदनामी के चलते बाद की सरकारों ने वैसा कोई सख्त कार्यक्रम दोबारा नहीं शुरू किया, लेकिन अलग–अलग स्तर पर जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने की कोशिशें चलती रहीं। मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूर 'जनसंख्या विस्फोट' की जगह डेमोग्राफिक डिविडेंड का विमर्श चलाकर यह समझाने का प्रयास किया कि जनसंख्या हमारी समस्या नहीं है। इसका उपयुक्त इस्तेमाल हो तो यह हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान साबित हो सकती है। मगर इस विमर्श का जमीन पर कोई खास असर नहीं देखा जा सका है।

कुछ हिंदुत्ववादी संगठन आज भी जनसंख्या वृद्धि को देश की एक बड़ी समस्या के रूप में देखते हैं और इसके लिए उन समुदायों को दोषी ठहराते हैं जिनमें जन्मदर अपेक्षाकृत ज्यादा है। इतना ही नहीं, बीजेपी शासित कुछ राज्यों ने हाल में भी जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कानून लाने की बात कही है। यूपी, असम, कर्नाटक, गुजरात आदि राज्यों में खुद मुख्यमंत्री या कैबिनेट सदस्य ऐसा कानून लाने का इरादा जता चुके हैं। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा और अनिल अग्रवाल संसद में भी ऐसे एक निजी विधेयक का नोटिस दे चुके हैं। यह समझा जाना जरूरी है कि जनसंख्या को लेकर ऐसा विमर्श अब न केवल पुराना पड़ चुका है बल्कि बदले हालात में इससे प्रेरित कदम हानिकारक साबित होंगे। ताजा प्रवृत्ति जारी रही तो कुछ ही समय में हमारी आबादी घटने लगेगी और चुनौतियों का स्वरूप बिल्कुल बदल जाएगा। इसलिए जरूरी है कि लकीर का फकीर बन पुराना राग अलापते रहने के बजाय हम खुद को आने वाली नई चुनौतियों के लिए तैयार करें।

प्रकाश या अंधकार?

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा।

यहां निवास करने वाले महाबली दैत्य, नाग एवं दानव पूरे ऐश्वर्य और आराम के साथ रहते हैं। यहां पर मय नामक दानव ने अनेक सुख उपभोग की वस्तुओं का निर्माण किया है। विज्ञान के अनुसार समुद्र तल से 200 फीट नीचे प्रकाश प्रवेश नहीं करता है। अर्थात् पाताल वह जगह है जहां घोर अंधेरा है। इसलिए दानव या असुर के लिए निशाचर (रात में चलने वाला) शब्द का प्रयोग किया जाता है। मनुष्य का वास्तविक स्वभाव क्या है? गम्भीर गूढ़ सच है जिसे समझने के लिए जेब्रा का उदाहरण सटीक है। पहली झलक में लगता है कि जेब्रा के सफेद शरीर पर काली धारियां हैं परन्तु होता इसका उलटा है। जेब्रा के काले शरीर पर सफेद धारियां हैं। बिलकुल, इसी प्रकार यह जगत अंधकार से ढका हुआ है। यहां उजाला को अपना अस्तित्व बनाने और बढ़ाने के लिए संघर्ष रत रहना पड़ता है।

संपादकीय

बैकफुट पर सरकार

देखा जाए तो देशद्रोह कानून के परीक्षण का सवाल हो या पेगासस मामला या फिर वैक्सिनेशन नीति और ट्रिब्यूनल में सदस्यों की नियुक्ति का मसला– सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार बैकफुट पर ही नजर आई। सुप्रीम कोर्ट की मंशा साफ है कि न्याय होना जरूरी है लेकिन होता दिखना भी जरूरी है। यह कथन पूरी तरह से चरितार्थ होता दिख रहा है। पेगासस मामले में जहां संसद गर्म रही, वहीं शीर्ष अदालत में भी बहस गरमाती रही। 27 अक्टूबर को इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को झटका लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले में जांच के लिए टेक्निकल कमिटी का गठन किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर नागरिक के निजता के अधिकार के उल्लंघन को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। चीफ जस्टिस एनवी रमना की अगुआई वाली बेंच ने यहां तक कहा कि राज्य (केंद्र सरकार) सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करके कोर्ट को मूक दर्शक नहीं बना सकता। केंद्र सरकार की दलील इस मामले में नहीं चली कि वह खुद एक्सपर्ट पैनल बनाना चाहती है। अदालत ने कहा कि न्याय होना ही जरूरी नहीं है, न्याय होता दिखना भी जरूरी है। कुल मिलाकर, यह बात विश्वासपूर्वक कही जा सकती है कि कोरोना के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल सुनवाई की, हजारों मामले निपटाए और कई ऐसे फैसले दिए, जिनका सीधा सामाजिक सरोकार नजर आता है।

चीफ जस्टिस रमना की अगुआई में कलीजियम ने 9 जजों की नियुक्ति की सिफारिश सरकार को भेजी और सरकार ने उसे एक बार में ही मंजूर कर लिया। यह पहला मौका था, जब सुप्रीम कोर्ट में एक साथ 9 जजों की नियुक्ति हुई।

देशद्रोह कानून

राजेश चौधरी।।

सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की वेकेंसी हाल के सालों की बड़ी चुनौती रही है। कई बार इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच खींचतान देखने को मिली है। इस साल 24 अप्रैल 2021 को जब जस्टिस एनवी रमना ने बतौर चीफ जस्टिस शपथ ली तो देश के 25 हाई कोर्टों में 420 पद खाली थे। सुप्रीम कोर्ट में भी वेकेंसी हो चली थी। 34 सेंक्शंड पदों में 10 पद खाली थे। चीफ जस्टिस रमना की अगुआई में कलीजियम ने 9 जजों की नियुक्ति की सिफारिश सरकार को भेजी और सरकार ने उसे एक बार में ही मंजूर कर लिया। यह पहला मौका था, जब सुप्रीम कोर्ट में एक साथ 9 जजों की नियुक्ति हुई। इनमें 3 महिला जस्टिस भी शामिल हैं। यह भी पहली बार हुआ, जब 3 महिला जजों को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के तौर पर एक साथ शपथ दिलाई गई। हाईकोर्ट में जजों की वेकेंसी भरने के लिए भी चीफ जस्टिस रमना की अगुआई वाली कलीजियम ने इस साल 68 नामों की सिफरिश की।

चीफ जस्टिस रमना की अगुआई वाली बेंच ने ट्रिब्यूनल की वेकेंसी न भरे जाने को लेकर भी केंद्र सरकार के खिलाफ सख्त रवैया अख्तियार किया। बार–बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ट्रिब्यूनल की वेकेंसी न भरे जाने पर

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास यह ऑप्शन है कि ट्रिब्यूनल को बंद कर दें। देशद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की अलग–अलग बेंच का रुख अलग रहा था। साल की शुरुआत में 9 फरवरी को तत्कालीन चीफ जस्टिस बोबडे की अगुआई वाली बेंच ने देशद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें आईपीसी की धारा–124 ए यानी राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। लेकिन इसके बाद चीफ जस्टिस एनवी रमना की बेंच में एक बार राजद्रोह कानून को चुनौती का मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून के परीक्षण का फैसला किया। चीफ जस्टिस रमना की बेंच ने 15 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा। बेंच ने केंद्र सरकार से इस मामले में कई तीखे सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि राजद्रोह कानून का इस्तेमाल ब्रिटिश राज में स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए किया गया था, तो क्या आजादी के 75 साल बाद भी इसे जारी रखने की जरूरत है?

सुप्रीम कोर्ट ने कोविड मामले में कई अहम फैसले दिए। 30 जून को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा कि कोविड से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए सरकार छह हफ्ते के भीतर एनडीएमए (नैशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी) गाइडलाइंस तैयार करे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें केंद्र ने कहा था कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा–12 के तहत जो प्रावधान है, वह अनिवार्य नहीं है।

इसी तरह कोविड से मौत रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सिजन सप्लाई के मामले में अहम आदेश पारित किया। 8 मई को कोरोना महामारी के दौरान देश भर में ऑक्सिजन सप्लाई और आवंटन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नैशनल टास्क फोर्स का गठन किया। नैशनल टास्क फोर्स ऑक्सिजन आवंटन से लेकर जरूरी दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अपनी सिफारिश दे रही है।

सूडोकु नवताल-5179

सरल

3				8				9
		8	6		9	5		
6	5			4			7	1
	4						2	
1	2			6			9	8
		6	4		5	8		
9				1				7

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -5178 का हल

8	2	4		9	7	5	1	6
3	5	6	1	4	2	7	8	9
1	9	7	6	5	8	2	3	4
9	6	2	5	8	3	1	4	7
5	3	1	4	7	9	8	6	2
4	7	8	2	1	6	9	5	3
2	8	3	9	6	1	4	7	5
6	1	5	7	2	4	3	9	8
7	4	9	8	3	5	6	2	1

अपना ब्लॉग

अंधाधुंध जासूसी की इजाजत नहीं

मोहन। वैक्सिनेशन नीति पर भी सुप्रीम कोर्ट का रवैया बेहद सख्त रहा। इसके बाद केंद्र सरकार ने देश भर के लिए एक समग्र वैक्सिनेशन नीति की घोषणा कर दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने कोविड से मौत के मामले में मृतकों के परिजनों को 50 हजार रुपये मुआवजा राशि देने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में कानून का राज है और यहां अंधाधुंध जासूसी की इजाजत नहीं दी जा सकती है। यह कानून के दायरे में ही हो सकता है। किसानों पर लखीमपुर खीरी में कथित रूप से गाड़ी चढ़ाने के मामले में सियासी पारा गर्म है। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना की अगुवाई वाली बेंच ने अहम आदेश पारित किए थे। लखीमपुर खीरी मामले में हो रही छानबीन की लगातार मॉनिटरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस राकेश कुमार जैन को नियुक्त किया।